25/6/18 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अदल
सेवा केन्द्र सैंपऊ पर पेश हुई। सायल जग-
मोहन शर्मा उप0। गोपाल बावजूद तामील
उपस्थित नहीं। सायल जगमोहन शर्मा को सुना जगमोहन
तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथम
दृष्टया केस एवं सुविधा सन्तुलन सायल के पक्ष
में प्रतीत होता है। गोपाल को जरिये अस्थाई
निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
गोपाल को मूल वाद के निस्तारण तक
जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है
कि वह विवादित आराजी ख0नं0 1861, 1863,
1875, 1877, 1878, 1884, 2191, 2192, 2198,
2199 व 2200 वाके ग्राम सैंपऊ नं.1 तहसील पर
निर्माण एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।
पत्रावली जाब्ता मुताबिक होकर मूल वाद की
पत्रावली के साथ संलग्न रहे।